tion of each item of work is placed on specified officials so that there would be no delay and no item of work escapes the notice of the officials.

(3) A scheme for the expeditious completion of assessments in small income cases by accepting returns has been introduced with a view to liquidate the pendency, without a detailed and elaborate examination of accounts, etc. in these cases.

(4) A new provision for grant of refund of tax on provisional assessment made on the basis of the return of income has been introduced by the Finance Act, 1968. Under this provision, where the completion of the regular assessment is likely to take time, tax-payers are enabled to claim a refund of tax on a provisional assessment made on the basis of the return of income and the accounts and documents accompanying it.

(5) Strict instructions have been issued to all assessing officers that wherever an order passed by the Income-tax Officer results in a refund, the refund voucher should invariably accompany the order resulting in refund.

(6) A complaint book is being maintained in the office of the Commissioner of Income-tax in each charge where assessees could note the details of the cases in which there has been delay in the grant of refunds. These complaints as also complaints made through letters addressed to the Commissioner of Income-tax of each charge, are be ing attended to promptly and refunds are being granted.

(7) A Refund Week is being observed by the Department annually during which all the pending cases of refunds are exclusively attended to by the staff of the income-tax department, and refunds granted.

INDIGENOUS SYSTEMS OF MEDICINES

3576. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of States which have established separate Directorates for the development of indigenous systems of medicines *e.g.*, Ayurveda and Unani; and

(b) the steps Government propose to take to promote the indigenous systems of medicines in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Five States.

(b) Government has introduced a number of schemes during the successive Five Year Plans to promote the development of the Indian Systems of Medicine. This process of development will be carried forward in the Fourth Plan period.

IRRIGATION SCHEMES FOR THE DROUGHT-AFFECTED AREAS OF U.P. AND BIHAR

3577. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the district-wise schemes formulated by the Central Government to provide irrigation facilities in the drought-affected areas of Uttar Pradesh and Bihar; and

(b) the district-wise amount allocated for the implementation of those schemes during 1967-68?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b). The Central Government has not formulated any district-wise schemes to provide irrigation facilities in the drought-affected areas in U.P. and Bihar. Nor has it allocated any funds district-wise. The Central Government provides financial assistance to the extent agreed to, on the basis of the total expenditure incurred on Plan Schemes under the Head of Development.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

3578. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1960 से मार्च, 1968 तक की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है कि परिवार नियोजन

के लिये नियत किये गये धन तथा सामान का परिवार नियोजन से सम्बन्धित डाक्टर तथा बिचौलिये एजेण्टों द्वारा दुरुपयोग न किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| वर्ष | रुपये लाखों में |
|---|---|
| 1960-61 | 70.85 |
| 1961-62 | 139.31 |
| 1962-63 | 277.25 |
| 1963-64 | 217.24 |
| 1964-65 | 652.36 |
| 1965-66 | 1,199.79 |
| 1966-67 | 1,337.64 (अनुमानित) |
| 1967-68 | 2,653.01 (अनुमानित) |

(ख) और (ग). परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये धन (1) राज्य सरकारों और (2) स्थानीय संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को सहाय्यानुदान के रूप में प्रदान किया जाता है । राज्य सरकारों को नियत की गई धनराशि केन्द्रीय खातों में दिखाई जाती है; यह सम्बन्धित राज्य सरकार के महालेखाकार द्वारा खर्च के लेखा परीक्षण के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है । स्थानीय संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के सहाय्यानुदान सम्बन्धी हिसाब-किताब की जांच चार्टर्ड अकाउण्टैण्ट या सरकारी लेखा परीक्षक से करानी होती है । जांच-पड़ताल राज्य सरकार या भारत सरकार कभी भी कर सकती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी अपनी इच्छानुसार उनका परीक्षण कर सकते हैं । इसी तरह सामान की भी जांच-पड़ताल की जा सकती है । उनकी उचित सम्भाल और उपयोग के लिये भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

### वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास का प्रचार सलाहकार

3579. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के प्रचार सलाहकार के रूप में काम करने के लिये श्री जे० एन० गंजू को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) श्री गंजू की शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ?

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) श्री जे० एन० गंजू वाशिंगटन-स्थित भारतीय दूतावास के प्रचार सलाहकार नहीं हैं और प्रचार सलाहकार के रूप में उन्हें कोई रकम नहीं दी गई है ।

(ख) श्री गंजू अर्थशास्त्र में एम० ए० हैं और उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है ।

### स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर के विकास मंत्रालय के सेवा-निवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

3580. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1965 से मार्च, 1968 तक की अवधि में उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के सेवा-निवृत्त या सेवा-निवृत्त होने वाले राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का